कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 24 क तथा 40 के अधीन **प्रदत्त** शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल अधिसूचना संख्या 2759/ई-**2**/तेरह-2020-413/1987 लखनऊ दिनांक 15 दिसम्बर, 2020 के द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश आबकारी (बार अनुज्ञापनों की स्वीकृति) नियमावली, 2020 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः –

उत्तर प्रदेश आबकारी (बार अनुज्ञापनों की स्वीकृति) नियमावली-2020

2[1]. परिभाषा:-

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 से है;

(ख) ''बार'' का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन किसी ऐसे अधिष्ठान हेतु स्वीकृत विशेषाधिकार से है जहॉं लाइसेंस प्राप्त परिसर में उपभोग के लिए भारत निर्मित विदेशी मदिरा और विदेशी मदिरा को खुले या सीलबंद बोतलों / केन में विक्रय के साथ भोजन परोसा जाता है;

(ग) ''सिविल क्लब" का तात्पर्य सामाजिक तथा मनोरंजन के प्रयोजन के लिए अथवा लाभ प्राप्ति के हेतुक के बिना संयुक्त व्ययों पर किसी सामान्य लक्ष्य के संवर्धन के लिए ऐसे व्यक्ति-संगम से है जो समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 या उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत हो;

(घ) ''वाणिज्यिक क्लब'' का तात्पर्य लाभ प्राप्त करने के हेतुक से किसी वाणिज्यिक लक्ष्य के संवर्द्धन हेतु सामाजिक तथा मनोरंजन के प्रयोजन से किसी ऐसी कम्पनी, फर्म, व्यक्तियों के किसी अन्य संगठन या संगम से है जो समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 या उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत हो;

(ङ) ''आबकारी वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष के 1 अप्रैल से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से है;

(च) ''परिवार'' का तात्पर्य दम्पत्ति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्र,(पुत्रों), अविवाहित पुत्री, (पुत्रियां) और आश्रित माता-पिता से है, और उसमें वे सम्मिलित हैं ;

(छ) ''विदेशी मदिरा'' का तात्पर्य भारत में आयातित बीयर एवं स्प्रिट, वाइन और मदिरा या भारत निर्मित परिष्कृत या रंजित स्प्रिट या मदिरा जो सुगन्ध व रंग में भारत में आयातित मदिरा के सदृश हो, से है, और इसमें माल्ट स्प्रिट, व्हिस्की, रम, ब्रान्डी, जिन, बोद्का व लीकर्स सम्मिलित है। इसमें भारत या भारत से बाहर निर्मित बीयर, पैक्ड ड्राट बीयर, पोर्टर, साइडर, ऐल, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय (एल0ए0बी0) भी सम्मिलित है;

(ज) ''प्रपत्र'' का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से हैं;

(झ) ''खाद्य'' पदार्थ का तात्पर्य किसी प्रसंस्कृत, आंशिक रूप से प्रसंस्कृत, या गैर प्रसंस्कृत पदार्थ से है जो मानव उपभोग के लिये आशयित हो;

(ञ) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(ट) "राजमार्ग'' का तात्पर्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा अधिसूचित किसी राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा राज्य राजमार्ग से है;

(ठ) ''होटल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम और भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित समस्त पर्यटक बंगलों तथा होटलों से है तथा जिसमें समस्त तारांकित होटल या कोई अन्य होटल भी सम्मिलित है;

(ड) ''होटल बार लाइसेंस'' का तात्पर्य किसी होटल, जिसमें रूकने या ठहरने वाले विदेशी तथा भारतीय पर्यटकों तथा आगन्तुकों को निर्धारित पांच स्थानों पर और अतिरिक्त लाइसेंस फीस, जमा करने पर जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किया जाय, अधिक स्थानों पर उपभोग के लिए मदिरा परोसने हेतु विक्रय किया जाता है, को स्वीकृत विदेशी मदिरा के विक्रय हेतु फुटकर लाइसेंस से है;

(ढ) ''आयातक ईकाई'' का तात्पर्य ब्रांड मालिक या प्रमुख आयातक या देश में शराब आयात करने के लिए अधिकृत किसी व्यक्ति या संस्था से है।

1उत्तर प्रदेश आबकारी (बार अनुज्ञापनों की स्वीकृति) नियमावली-2025 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ण)''व्यक्ति'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो भारत का नागरिक हो और जो 21 वर्ष की आयु से कम का न हो;

(त) ''लाइसेंस'' का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन स्वीकृत लाइसेंस से है;

(थ) ''लाइसेंस प्राधिकारी'' का तात्पर्य जिला कलेक्टर, से है जो आबकारी आयुक्त के पूर्व अनमोदन से बार का लाइसेंस स्वीकृत कर सकता है;

(द) ''लाइसेंस फीस''का तात्पर्य होटलों, रेस्तराओं, क्लबों, एयरपोर्ट ट्रांजिट लाउंज,और माइक्रोब्रेवरीज में उपभोग हेतु विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए लाइसेंस स्वीकृत करने हेतु प्रतिफल स्वरूप नियत वार्षिक धनराशि से है;

(ध) ''स्वामी'' का तात्पर्य किसी रेस्तरां/ होटल के स्वामी से है जिसमें उसका कोई प्रबन्धक या अधिभोगी सम्मिलित हैं;

(न) ''वैयक्तिक होम लाइसेंस'' का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन अपने आवसीय परिसर मे भारत निर्मित विदेशी मदिरा और समुद्रपार आयातित मदिरा के, अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, अतिथियों और मित्रों, जिनकी उम्र **21** वर्ष से कम न हो, द्वारा उपभोग हेतु किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार स्वीकृत किये जाने से है।

(प) ''रेस्तरां''का तात्पर्य ऐसे किसी स्थान या परिसर से है जिसमें जनता को प्रतिफल के बदले खाद्य या पेय पदार्थं का उपभोग करने की अनुज्ञा हो और जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम और भारतीय पर्यटन एवं विकास निगम द्वारा संचालित कैफे, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और साथ ही साथ ऐसे अन्य स्थान, जहाँ खाद्य पदार्थ विक्रीत और उपभुक्त किये जाते हैं, सम्मिलित हैं;

(फ) ''प्रतिभूति धनराशि'' का तात्पर्य लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के 15 दिन के भीतर जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा ई-संदाय के माध्यम से जमा किये जाने हेतु एक चौथाई लाइसेंस फीस की धनराशि के बराबर की धनराशि से है, जो बार लाइसेंस संचालित किए जाने में लाइसेंसधारी द्वारा कृत किसी व्यतिक्रम की स्थिति में समपहृत किये जाने योग्य है;

(ब) ''तारांकित होटल'' का तात्पर्य ऐसी सभी श्रेणियों के होटलों से है जो भारत सरकार के पर्यटन विभाग के होटल तथा रेस्तरां स्वीकृत और वर्गीकरण समिति अथवा इस प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा न्यायानिर्णीत और अनुमोदित हों;

(भ) ''परिवहन अनुज्ञा पत्र'' का तात्पर्य थोक लाइसेंस यथा विदेशी मदिरा-2, विदेशी मदिरा-2ख, बी0आई0ओ0-1 लाइसेंस जिनके पास कस्टम बाण्ड और स्थान का आवंटन हो,से भारत निर्मित विदेशी मदिरा और विदेशी मदिरा का परिवहन करने के लिये जारी किसी अनुज्ञा पत्र से है;

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम से उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हैं।

3[1]-लाइसेंस (एक)लाइसेंस प्राप्त परिसर में विदेशी मदिरा का उपभोग करने हेतु ग्लासों, पेग्स अथवा सीलबन्द बोतलों/**केन** मे विक्रय करने के लिए न कि उसे लाइसेंस प्राप्त परिसर से बाहर ले जाने के लिए किसी होटल को प्रपत्र वि0म0-6 में लाइसेंस (होटल बार लाइसेंस) स्वीकृत किया जा सकता है;

(दो)लाइसेंस प्राप्त परिसर में विदेशी मदिरा का उपभोग करने हेतु ग्लासों, पेग्स अथवा सीलबन्द बोतलों/**केन** मे विक्रय करने के लिए न कि उसे लाइसेंस प्राप्त परिसर से बाहर ले जाने के लिए किसी रेस्तरां प्रपत्र वि0म0-7 में लाइसेंस (रेस्तरां बार लाइसेंस) स्वीकृत किया जा सकता है;

(तीन) किसी सिविल क्लब या किसी वाणिज्यिक क्लब के लिए वि0म0-7क में लाइसेंस (क्लब बार लाइसेंस), उनके सदस्यों तथा उनके नियमित अतिथियों को लाइसेंस प्राप्त परिसर में उपभोग करने के लिए न कि उसे लाइसेंस प्राप्त परिसर से बाहर ले जाने के लिए ग्लासों, पेग्स या सीलबन्द बोतलों/**केन** में विदेशी मदिरा की आपूर्ति करने/उसका उपभोग करने के प्रयोजनार्थ स्वीकृत किया जा सकता है;

(चार) प्रपत्र वि0म0-11 में लाइसेंस (समारोह बार लाइसेंस), लाइसेंस प्राप्त परिसर के भीतर मेलों, त्यौहारों में या विशुद्ध रूप से अस्थायी प्रकृति के अन्य विनिर्दिष्ट अवसरों पर उपभोग हेतु ग्लासों या पेग्स में विदेशी मदिरा का विक्रय करने या उसे परोसने हेतु किसी व्यक्ति या किसी अधिष्ठान को स्वीकृत किया जा सकता है किन्तु उसे ऐसे स्थानों पर लाइसेंस प्राप्त परिसर के बाहर ले जाने के लिए विक्रीत नहीं किया जायेगा;

(पांच) प्रपत्र वि0म0-ए0एल0-1(एयरपोर्ट बार लाइसेंस), सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन बनाई गयी बैगेज नियमावली, 1978 के अधीन पात्रता की सीमा तक एयरपोर्ट से गुजरने वाले हवाई यात्रियों के उपभोग हेतु आशयित एयरपोर्ट के भीतर ग्लासों, पैग्स अथवा सीलबंद बोतलों में विदेशी मदिरा का विक्रय करने के लिये स्वीकृत किया जा सकता हैं;

(छः)प्रपत्र वि0म0-8 में लाइसेंस, लाइसेंस प्राप्त परिसर के भीतर विदेशी मदिरा के उपभोग हेतु न कि लाइसेंस प्राप्त परिसर के बाहर उसे ले जाने हेतु

1-**उत्तर प्रदेश आबकारी (बार अनुज्ञापनों की स्वीकृति) नियमावली-2025 द्वारा प्रतिस्थापित।**

अपने नियमित अतिथियों को ग्लासों, पेग्स में या सीलबंद बोतलों में विदेशी मदिरा की आपूर्ति करने/उसे परोसने के प्रयोजनार्थ रेलवे प्रशासन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन या उसके द्वारा अनुरक्षित विशेष प्रयोजन की रेलगाड़ियों अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित क्रूजों के भोजन कक्षों में विदेशी मदिरा विक्रय करने के लिये किया जा सकता है;

(ज) प्रपत्र वि0म0-पी0एच0-1 में लाइसेंस, पात्र व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की भारत निर्मित विदेशी मदिरा और समुद्रपार आयातित मदिरा को अपने आवासिक परिसर में पारिवारिक सदस्यों, रिश्तेदारों, अतिथियों एवं मित्रों जो 21 वर्ष की आयु से कम न हो , के उपभोग के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विहित मात्रा तक खरीदने, परिवहन करने व रखने हेतु स्वीकृत किया जा सकता है।

4[1]- **ऐसे व्यक्ति, जो लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के लिए पात्र नहीं है:- निम्नलिखित व्यक्ति, लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के लिए पात्र नहीं है:-**

(क) इक्कीस वर्ष से कम आयु के व्यक्ति;

(ख) ऐसे व्यक्ति, जो अनुन्मोचित दिवालिया है अथवा जो उक्त अधिनियम अथवा स्वापक ओषधि एंव मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम **1985** (केंन्द्रीय अधिनियम **61** सन् **1985**) के उपबंधों के अधीन अपराधो के लिये दोषी ठहराये गयें हो, अथवा गैर जमानती अपराधों के लिये दोषी ठहराये गयें हो अथवा आभ्यासिक अपराधी हो;

(ग) ऐसे व्यक्ति जिनका कोई लोक या सरकारी बकाया हो;

(घ) कोई मदिरा बोतल भराई धारक या अल्कोहल के उत्पादक या विनिर्माणकर्ता हो;

(ङ) बार कांउसिल में रजिस्ट्रीकृत कोई अधिवक्ता अथवा कोई **कम्पनी सचिव** या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट;

(च) कोई सरकारी सेवक।

5[2]. **बार लाइसेंस के आवेदक की पात्रता-**

(एक) बार लाइसेंस के लिये यह आवश्यक है कि आवेदकः-

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) कम्पनी अधिनियम **1956** के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कम्पनी हो; या

(ग) कम्पनी अधिनियम, **2013** के अधीन स्थापित कोई कम्पनी हो; या

(घ) भागीदारी अधिनियम, **1932** के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भागीदारी फर्म हो, जिसके भागीदार भरत के निवासी हां; या

(ड.) कोई रजिस्ट्रीकृत एकल स्वामित्व वाली फर्म हो; या

(च) कोई लिमिटेड देयतावाली भागीदारी फर्म हो; या

(छ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, **1860** के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी हो; या

(ज) किसी होटल/ रेस्तरां का स्वामी/ स्वत्वधारी/ प्रबन्धक/अधिभगी/ पट्टेदार हो; या

(झ) यदि कोई व्यक्ति हो तो **21** वर्ष से अधिक आयु का हो; या

(ञ) कोई रजिस्ट्रीकृत क्लब हो।

(2)वैयक्तिक होम लाइसेंस के लिए यह आवश्यक है कि आवेदकः-

(क) भारत का नागरिक हो,

(ख) आयु **21** वर्ष से अधिक हो,

(ग) प्रस्तावित परिसर, भवन, घर या फ्लैट जहॉ वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहता/ रहती हो का/की स्वामी/स्वामिनी होना चाहिए,

(ध) भवन,घर या फ्लैट जहॉ वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ निवास करता/करती है, के किराये सम्बन्धी सुसंगत दस्तावेज रखता/रखती हो।

(ड) विगत पॉच वर्षो से आयकर दाता/दात्री हो।

(च) विगत पॉच आयकर निर्धारण वर्षो में से कम से कम 03 कर निर्धारण वर्षों में न्यूनतम **20** प्रतिशत आयकर श्रेणी के अन्तर्गत आयकर का भुगतान किया गया हो।

1-**उत्तर प्रदेश आबकारी (बार अनुज्ञापनों की स्वीकृति) नियमावली**-2025 **द्वारा प्रतिस्थापित।**

2-**उत्तर प्रदेश आबकारी (बार अनुज्ञापनों की स्वीकृति) नियमावली**-2022 **द्वारा प्रतिस्थापित।**

6[1]. लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के लिये निर्बन्धन-

(1) कोई बार लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया जायेगाः-

(एक)यदि आवेदन पत्र पर सक्षम व्यक्ति का हस्ताक्षर न हो या वह अपूर्ण हो;

(दो) जब तक परिसर में-

(क) कम से कम 40 व्यक्तियो के बैठने की न्यूनतम क्षमता न हो;

(ख) न्यूनतम 100 वर्ग मीटर का कुर्सी क्षेत्रफल न हो;

(ग) महिलाओं और पुरूषों के लिये पृथक-पृथक वाशबेसिन और वाशरूम जैसे स्वच्छताकारी उपस्कर न हो;

(घ) न्यूनतम 15 वर्गमीटर कुर्सी क्षेत्रफल के भोजन कक्ष में उपभोक्ताओं को अच्छे गुणवत्तापूर्ण भोजन पकाने और परोसने की सुविधा न हो;

(ङ)लाइसेंसप्राप्त परिसर के उपभोग कक्षों और हालों में वातानुकूलन या वातप्रशीतन की सुविधा न हो;

(च) परिसर के 500 मीटर के अन्तर्गत पर्याप्त यान पार्किंग की व्यवस्था (निजी/वैलेट पार्किंग/सार्वजनिक या निजी पार्किंग) न हो;

(छ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अग्निशमन सुरक्षा का विधिमान्य प्रमाणपत्र न हो;

(ज) मदिरा का अलग और पृथककृत बार काउटर और भडारण कक्ष न हो;

(झ) विभिन्न प्रकार और ब्राण्डों की मदिरा के प्रदर्शन के लिये समुचित प्रदर्शन स्थल न हो;

(ञ) जबतक उक्त परिसर राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग अथवा राजमार्ग के सर्विस लेन के बाह्य क्षेार से 500मीटर की दूरी के अन्तर्गत हो और उक्त परिसर राजष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग से सीधे दृश्य हो या उसके पहुWWच में होः

परन्तु यह कि यदि उक्त क्षेत्र 20,000 या उससे कम जनसंख्या वाले नगर निकायों में समाविष्ट हो तो दूरी 220 मीटर होगी।

परन्तु यह और कि नगरपालिका क्षेत्रों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले लाइसेंस प्राप्त अधिष्ठानों के लिये उक्त निर्नधन लागू नहीं होंगे;

(ट) जब तक उक्त परिसर, उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या तथा स्थिति नियमावली, 1968 (यथासंशोधित) के नियम 5 (4) के उपबंधों के प्रतिकूल प्रतिषिद्ध दूरी के अन्तर्गत हो;

(तीन) जब तक आवेदक के पासः-

(क) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन सुसंगत लाइसेंस न हो;

(ख) परिसर, यदि पट्टे पर हो, के स्वामी से प्रस्तावित लाइसेंस प्राप्त परिसर के लिये कोई रजिस्ट्रीकृत पट्टाविलेख न हो।

टिप्पणी-

1. किसी मॉल या किसी वाणिज्यिक काम्पलेक्स जिसमें बार स्थित हो, की सामान्य पार्किंग सुविधायें और वाशरूम, ऐसे बार की सुविधाओं के रूप में माने जायंगे;

2. लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा नियम-11 के अधीन बार लाइसेंस जारी किये जाने के पूर्व रेस्तरां चालू स्थिति में होना चाहिये।

7[2].लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के लिए आवेदन

(एक)आवेदन पर निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगाः-

(क) व्यक्ति, यदि वह वैयक्तिक हैसियत से किया जाय;

(ख) प्रत्येक भागीदार, यदि आवेदक भागीदार फर्म हो तो प्रत्येक भागीदार का नाम, माता-पिता का नाम और समुचित पता आवेदन में उल्लिखित किया जायेगा;

(ग) प्रबंध निदेशक या प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्राधिकृत प्रबंधक यदि आवेदक कोई कम्पनी हो तो कम्पनी का रजिस्ट्रीकृत नाम और पता और साथ ही साथ निदेशकों प्रबन्धकों तथा प्रबन्ध अधिकारियों का नाम आवेदन में स्पष्ट रूप में उल्लिखित होना चाहिए;

(घ) सम्यक् रूप से निर्वाचित अध्यक्ष या सचिव, यदि आवेदन किसी क्लब के लिए या उसकी ओर से किया जाय। उक्त आवेदन में क्लब की रजिस्ट्रीकरण संख्या तथा पता और उसके अध्यक्ष तथा सचिव का नाम तथा पता सम्मिलित होगा।

(दो)होटल/रेस्तरां/क्लब बार/एयरपोर्ट बार लाइसेंसः

1-उत्तर प्रदेश आबकारी (बार अनुज्ञापनों की स्वीकृति) नियमावली-2022 द्वारा प्रतिस्थापित।

2-उत्तर प्रदेश आबकारी (बार अनुज्ञापनों की स्वीकृति) नियमावली-2025 द्वारा प्रतिस्थापित।

लाइसेंस हेतु आवेदन प्रपत्र ‘क‘ में ऑनलाइन किया जायेगा और उसके साथ निम्नलिखित संलग्न होंगेः-

(क) अप्रतिसंदेय आवेदन फीस;

(ख) दो नवीनतम पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ

(ग) पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रतियॉं;

(घ) पार्किंग स्थान का सबूत;

(ड) प्रस्तावित परिसर की अनुमोदित अभिन्यास योजना की प्रति;

(च) यदि प्रस्तावित परिसर का उपयोग सम्पत्ति और भू-स्वामी से भिन्न व्यक्ति/संस्था द्वारा पट्टा और करार के आधार पर किया जा रहा हो तो ऐसे रजिस्ट्रीकृत करार विलेख/ पट्टा/संविदा की प्रतिलिपि;

(छ)निकाल दिया गया

(ज) रेस्तरां/होटल परिसर में अग्नि सुरक्षा हेतु समुचित प्रबंध के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र;

(झ) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अधीन भरतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण की प्रतिलिपि;

(ञ) जिला कलेक्टर या सम्बन्धित जिला के पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस कमिश्नरी के पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी, जो सहायक पुलिस आयुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो, द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र;

(ट) किसी होटल परिसर के भीतर मदिरा परोसने के लिए निर्धारित अतिरिक्त फीस के संदाय पर पॉंच स्थानों और अतिरिक्त स्थानों की सूची;

(ठ) आवेदक के क्लब बार लाइसेंस धारक होने की स्थिति में आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगेः-

(एक) क्लब सदस्यता नियमावली की प्रतिलिपि।

(दो) अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों की सूची।

(तीन) संगम-ज्ञापन ।

(चार) संगम अनुच्छेद।

(पॉंच)उस स्थान, जहॉं पर क्लब स्थित हो, के जिला कलेक्टर से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र;

(ड)आवेदक के भागीदारी फर्म/कम्पनी या एल.एल.पी. फर्म होने की स्थिति में आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगेः-

(एक) संगम-ज्ञापन।

(दो) संगम अनुच्छेद।

(तीन)फर्म का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र।

(चार)निदेशकों/भागीदारों की सूची।

(पॉंच)भगीदारी विलेख।

(छः)पैन कार्ड।

(सात)टैन संख्या।

(आठ)भागीदारों/निदेशकों के आधार कार्ड।

(नौ)आवेदन करने हेतु प्राधिकार-पत्र पत्र।

(ढ) (एक) संबंधित विकास प्राधिकरण या स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तावित परिसर के भवन के अनुमोदित मानचित्र की अनुप्रमाणित प्रति व विहित पोर्टल से डाउनलोड की गयी स्व अनुप्रमाणित प्रति अथवा इससे सम्बन्धित कोई अन्य सुसंगत दस्तावेज ।

(दो) प्रस्तावित परिसर के भवन का पूर्ण मानचित्र ही सम्बन्धित विकास प्राधिकरण या **स्थानीय** निकाय द्वारा अनुमोदित किया जाना अपेक्षित होगा।अनुमोदित मानचित्र का परिवर्द्धन करके या उसका अतिक्रमण करके निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित विकास प्राधिकारण या स्थानीय निकाय के **विद्यमान** नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

(तीन) (क)समारोह हेतु बार लाइसेंस

प्रपत्र ‘‘ख‘‘ में आनलाइन आवेदन किया जायेगा, जिसके साथ अप्रतिदेय आवेदन फीस संलग्न होगी।

(ख)वैयक्तिक होम लाइसेंस प्रपत्र-‘’ग’’ में आन लाइन आवेदन सम्बन्धित जिला के जिलाधिकारी , जहॉं आवेदक और उसके परिवार के सदस्य निवास कर रहें हो, को दिया जायेगा, जिसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होंगे-

(एक) दो नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो।

(दो) पैन कार्ड व आधार कार्ड की स्व प्रमाणित प्रति।

(तीन) पते के साक्ष्य हेतु आवेदक व उसके पारिवारिक सदस्यों द्वारा आवासिक प्रयोजन हेतु प्रयुक्त किये जा रहें प्रस्तावित परिसर, भवन, घर या फ्लैट की प्रति।

(चार)प्रस्तावित परिसर, भवन, घर या फ्लैट के स्वामित्व या किराया करार के साक्ष्य की प्रति।

(पॉच)प्रपत्र पी0एच0-2 में परिवार के वयस्क सदस्यों (यदि कोई हो)के इस आशय का शपथ-पत्रकि वे प्रस्तावित परिसर में आवेदक के साथ रहते /रहतीं हैं और उन्हें आवेदक के पक्ष में वैयक्तिक होम लाइसेंस स्वीकृत किये जाने में कोई आपत्ति नही है।

(छः)फार्म पी0एच0-3 में आवेदक/ आवेदिका का इस आशय का शपथ-पत्र कि प्रस्तावित परिसर में रहने वाला वह एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनका कोई आपराधिक इतिहास नही है तथा न ही संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 या स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावीअधिनियम 1985 के अधीन परिवार के किसी सदस्य के विरूद्ध कोई मामला विचाराधीन है और न ही कोई आपराधिक मुकदमें में भारत के किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहरायें गये है। वह किसी अनधिकृत व्यक्ति और अवयस्क को अनुज्ञप्त परिसर में प्रवेश की अनुमति नही देगा/देगीएवं न ही अनुज्ञप्त परिसर में निर्धारित सीमा में उत्तर प्रदेश में बिक्री योग्य भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं आयातित मदिरा के सिवाय किसी प्रकार की अवैध/गैर कानूनी मदिरा या मादक पदार्थनहीं रखेगा/रखेगी।

(सात)जनपद के कलेक्टर/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित जनपद के पुलिस कमिश्नर द्वारा नामित पुलिस अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति।

(चार) आवेदक को पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा;

(क) कि वह होटल/रेस्तरां/क्लब का स्वामी या पट्टेदार है अथवा उसके पास समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली 1968 (यथासंशोधित) के उपबंधों के अनुसार परिसर स्वामी का पट्टा विलेख या सहमति पत्र हो;

(ख) कि उसका और उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई आपराधिक पृष्ठिभूमि नहीं है और वे संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अधीन दण्डनीय किसी अपराध अथवा किसी अन्य संज्ञेय और अजमानतीय अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराये गये हैं;

(ग) कि उसे जिस जिले का वह निवासी हो, उस जिला के जिला कलेक्टर या पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस कमिश्नरी के पुलिस आयुक्त द्वारा नामित एक अधिकारी, जो सहायक पुलिस आयुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो, द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र यह दर्शाते हुये प्रस्तुत करना होगा कि कि उसका और उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक अभिलेख नहीं है, आवेदक के भागीदारी फर्म/कम्पनी होने की स्थिति में, फर्म के प्रत्येक भागीदार/कम्पनी के निदेशक या प्रबन्धक या प्रबन्ध अभिकर्ता या प्रबन्ध निदेशक के पास जिस जिले का वह निवासी हो, उस जिले के जिला कलेक्टर या पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठपुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस कमिश्नरी के पुलिस आयुक्त द्वारा नामित एक अधिकारी जो सहायक पुलिस आयुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो, द्वारा जारीचरित्र प्रमाण-पत्र यह दर्शाते हुए हो कि उसका और उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक रिकार्ड नहीं है;

(घ) कि वह ऐसे विक्रेता या प्रतिनिधि को नियोजित नहीं करेगा जिसकी आपराधिक पृष्ठिभूमि हो अथवा जो संक्रामक रोग से ग्रसित हो अथवा जो 21 वर्ष की आयु से कम हो अथवा कोई महिला हो;

(ड.) कि उसके पास कोई लोक या सरकारी बकाया न हो;

(च) कि वह ऋणशोधक्षम हो और उसके पास आवश्यक निधियॉ हों अथवा वह कारबार संचालित करने के लिए आवश्यक निधियों की व्यवस्था किया हो, जिसका विवरण लाइसेंस प्राधिकारी को अपेक्षित होने पर उपलब्ध कराया जायेगा;

(छ) कि वह न तो कोई मदिरा बोतल भराई लाइसेंस धारक और न ही अल्कोहल उत्पादनकर्ता/ विनिर्माणकर्ता हो;

(ज) कि वह बार काउंसिल में रजिस्ट्रीकृत कोई **अधिवक्ता या कम्पनी** सचिव या चार्टड एकाउंन्टेन्ट न हो। यदि वह लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात् उपरोक्त में से किसी भी रूप में पाया जाता है, तो लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा;

(झ) कि वह सरकारी सेवक नहीं है। सरकारी सेवक पाये जाने की स्थिति में उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा;

(ञ) कि उसके अधिष्ठान का परिसर राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के बफर परिक्षेत्र/प्रतिषिद्ध परिक्षेत्र के अधिकार क्षेत्र के भीतर न आता हो;

(ट) कि उसके पास यान पार्किग के लिए समुचित और पर्याप्त स्थान हो और यातायात में व्यवधान उत्पन्न न हो तथा व्यवधान पाये जाने की स्थिति में उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा;

(ठ) कि उसे रेस्तरां/होटल परिसर में अग्नि शमन सुरक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा;

परन्तु यह कि समारोह बार लाइसेंस होने की स्थिति में ऊपर उल्लिखित शपथ-पत्र अपेक्षित नहीं होगा;

8[1]-जिला स्तरीय बार समिति-जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जिला स्तरीय बार समिति को सन्दर्भित बार लाइसेंसो के लिए आवेदनों का परीक्षण निम्नलिखित रूप में गठित जिला स्तरीय बार समिति करेगी और वह नियम-7 में निर्धारित प्रतिमानों पर विचार करने के पश्चात आबकारी आयुक्त को संस्तुति देगी।

क्रमांक	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	सम्बन्धित जिला का जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
	सम्बन्धित जिला का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक अथवा सम्बन्धित पुलिस आयुक्तालय के पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट सहायक पुलिस आयुक्त की श्रेणी से अनिम्न कोई अधिकारी	सदस्य
3	सम्बन्धित मण्डल का उप आबकारी आयुक्त	सदस्य

(क) समिति, जैसा कि वह आवश्यक समझे लाईसेंस स्वीकृत करने की संस्तुति करने के पूर्व परिसर का निरीक्षण कर सकती है;

(ख) समिति को संस्तुति लिखित रूप में अस्वीकृत करने का कारण अभिलिखित करना होगा;

(ग) समिति के विनिश्चय से क्षुब्ध कोई आवेदक मण्डलायुक्त के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है,

9[2]-लाइसेंस स्वीकृत किये जाने की प्रक्रिया-

(1)होटल/रेस्त्रां/क्लब बार/एयरपोर्ट बार लाइसेंस

(क) किसी लाईसेंस के लिए पात्र और बार लाईसेंस प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को विहित फीस सहित विहित प्रपत्र ''क'' में जिला आबकारी अधिकारी को आनलाइन आवेदन करना होगा।

(ख) जिला आबकारी अधिकारी ऐसी जॉच, जैसा की वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात आवेदक की वास्तविकता को अभिनिश्चित करेगा और आवेदन में प्रस्तुत विवरणों का सत्यापन करेगा तथा बार स्थापित करने के लिए परिसर की उपयुक्तताकी भी परीक्षण करेगा और तदपश्चात अपनी रिपोर्ट सहित उक्त मामला जिला स्तरीय बार समिति को सन्दर्भित कर देगा।

(ग)जिला स्तरीय बार समिति द्वारा की गई सस्तुति को जिला कलेक्टर द्वारा आवेदक को लाईसेंस स्वीकृत करने के लिए आबकारी आयुक्त को अग्रसारित कर दी जायगी।

(घ) आबकारी आयुक्त, आवश्यकताओं तथा अन्य कारकोंको ध्यान में रखते हुए, जैसा वह उचित समझे, और सरकार के निर्देशों, जैसा कि इस संबंध में समय समय पर जारी किये जायं, के अध्यधीन बार लाईसेंस की स्वीकृति प्रदान कर सकता है।

2 समारोह बार लाइसेंस

(क) समारोह बार लाईसेंस प्राप्त करने हेतु किसी व्यक्ति या अधिष्ठान विहित फीस सहित विहित प्रपत्र ''ख'' में जिला आबकारी अधिकारी को आनलाइन आवेदन करेगा।

(ख) जिला आबकारी अधिकारी आवेदक की वास्तविकता अभिनिश्चित करने और आवेदन में प्रस्तुत विवरणों का सत्यापन करने तथा परिसर की उपयुक्तता का परीक्षण भी करने के लिये ऐसी जाँच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात उक्त आवेदन अपनी रिपोर्ट के साथ जिला कलेक्टर को अग्रसारित कर देगा।

(ग)जिला कलेक्टर आवश्यकताओं और कारकोंको ध्यान में रखते हुए, जैसा वह उचित समझे,और आबकारी आयुक्त तथा राज्य सरकार के निर्देशों, जैसा कि इस संबंध में समय समय पर जारी किये जायें, के अध्यधीन प्रपत्र एफ0एल0-11 में बार लाईसेंस स्वीकृत कर सकता है।

1-**उत्तर प्रदेश आबकारी (बार अनुज्ञापनों की स्वीकृति) नियमावली**-2025 **द्वारा प्रतिस्थापित।**

2-**उत्तर प्रदेश आबकारी (बार अनुज्ञापनों की स्वीकृति) नियमावली**-2022 **द्वारा प्रतिस्थापित।**

3 एफ.एल.-8 लाइसेंस

(क) किसी लाइसेंस के लिए पात्र और एफ0एल0-8 लाइसेंस प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्ति/ फर्म/कंपनी विहित फीस के साथ आबकारी आयुक्त को आवेदन करेगा।

(ख) जिला आबकारी अधिकारी आवेदक की वास्तविकता अभिनिश्चित करने और आवेदन में उपलब्ध कराये गये विवरणों को सत्यापित करने तथा परिसर की उपयुक्तता का परीक्षण भी करने के लिए ऐसी जाँच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात उक्त आवेदन अपनी रिपोर्ट के साथ जिला कलेक्टर के माध्यम से आबकारी आयुक्त को अग्रसारित कर देगा।

(ग) आबकारी आयुक्त आवश्यकताओं और अन्य कारकों, को ध्यान में रखते हुए, जैसा वह उचित समझे, और सरकार की निर्देशों, जैसा की इस संबंध में समय समय पर जारी किये जाय, के अध्ययधीन बार लाइसेंस की स्वीकृति प्रदान कर सकता है।

4- वैयक्तिक होम लाइसेंस(पी0एच0-1)

क-लाइसेस के लिए पात्र और पी0एच0-1 लाइसेंस प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति जनपद के कलेक्टर को आन-लाइन आवेदन करेगा।

ख- जिला आबकारी अधिकारी आवेदक की वास्तविक्ता अभिनिश्चित करने एवं आवेदन में उपलब्ध कराये गये विवरणों को सत्यापित करने तथा वैयक्तिक होम लाइसेंस परिसर की उपयुक्तता का परीक्षण भी करने के लिए ऐसी जॉच , जैसा कि वह आवश्यक समझे करने के पश्चात् उक्त आवेदन अपनी आख्या के साथ जिला कलेक्टर को प्रेषित करेगा।

ग-जिला कलेक्टर आवश्यकतओं एवं अन्य कारकोंको ध्यान में रखते हुए, जैसा वह उचित समझे, और आबकारी आयुक्त तथा राज्य सरकार के निर्देशों, जैसा कि इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी किये जायें, के अध्यधीन होम लाइसेंस स्वीकृत कर सकते हैं।

घ- जनपद कलेक्टर के अनुमोदनोंपरान्त आवेदक लाइसेंस फीस आन लाइन जमा करेगा और प्रतिभूति धनराशि की एफ0डी0आर0पोर्टल पर अपलोड करेगा। सम्बन्धित जनपद का जिला आबकारी अधिकारी अपने आफिस में मूल एफ0डी0आर0 के जमा होने पर पी.एच.-1 प्रपत्र में वैयक्तिक होम लाइसेंस अपने डिजीटल हस्ताक्षर से जनित करेगा।

10-लाइसेंस शुल्क का भुगतान-

आवेदक लाइसेंस स्वीकृति की सूचना प्राप्त किये जाने के सात दिन के अन्तर्गत आवेदक को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित लाइसेंस फीस भुगतान करना होगा । पन्द्रह कार्यदिवस के अन्तर्गत सावधि जमा रसीद या ई-भुगतान के माध्यम से प्रतिभूति धनराशि जमा की जायेगी । तथापि यदि आबकारी वर्ष के प्रारम्भ होने के पश्चात कोई लाइसेंस स्वीकत किया जाता तो आबकारी वर्ष में बचे हुए त्रैमासों की संख्या के लिए, त्रैमास को सम्मिलित करते हुए जिसमें लाइसेंस स्वीकृत हुआ है, लाइसेंस फीस प्रभारित किया जायेगा। त्रैमासिक लाइसेंस फीस आबकारी वर्ष के लिए अवधारित वार्षिक लाइसेंस फीस के अनुपात में होगी।

11-बार लाइसेंस जारी किया जाना-

आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाने पर संबंधित जिला आबकारी अधिकारी स्वयं का समाधान करने के पश्चात कि लाइसेंस फीस और प्रतिभूति जमा कर दी गयी है यह सुनिश्चित करने के पश्चात कि रेस्त्रां चालू स्थिति में है, अपनी रिपोर्ट क्लेक्टर को प्रस्तुत करेगा जो अपने हस्ताक्षर और कार्यालय मुहर से लाइसेंस जारी करेगा।

12- **आवेदक के दोष पर स्वीकृत लाइसेंस का रद्द किया जाना -**

1- जहां कोई व्यक्ति, जिसके पक्ष में लाइसेंस स्वीकृत किया गया हो, लाइसेंस प्राप्ति की निर्धारित अवधि के भीतर इस नियमावली के अधीन यथा विहित लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा नहीं करता है लाइसेंस प्राधिकारी की संस्तुति प्राप्त करने पर आबकारी आयुक्त, लाइसेंस स्वीकृत हेतु उसके पक्ष में जारी स्वीकृत को रदद कर सकता है और उसके द्वारा जमा की गयी आवेदन फीस और प्रसंस्करण फीस समपहृत कर लेगा।

2- जहां आबकारी आयुक्त के संज्ञान में यह लाया गया हो-

(क) कि आवेदक नियमावली के अधीन उल्लिखित किसी अनहर्ता से पीड़ित है।

(ख)- कि आवेदक द्वारा सारभूत तथ्यों को छिपाकर लाइसेंस प्रदान किये जाने की स्वीकृति कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त की गयी है, आबकारी आयुक्त आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात लाइसेंस प्रदान किये जाने हेतु जारी स्वीकृति को रदद कर देगा और उसके द्वारा संदत्त फीस और प्रतिभूति धनराशि को समपहृत कर लेगा

(ग) कि लाइसेंस की शर्तों और आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का उल्लंघन किया गया है।

13- **आवेदन अस्वीकृत करने की शक्तियाँ:-**

इन नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी आबकारी आयुक्त कोई कारण, जो भी हो समनुदेशित किये बिना कोई आवेदन अस्वीकृत रने के लिए सक्षम होंगे।

14 **अपीलें और पुनरीक्षण** -

(1) जिला स्तरीय बार समिति द्वारा कृत कोई विनिश्चय योग्य होगा:

परन्तु यह कि इस नियमावली के अधीन कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी, जब तक कि उक्त अपील ऐसे विनिश्चय को संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर क्षुब्ध आवेदक द्वारा नहीं की जाती है।

(2) नियम **9** (एक) (घ) तथा (तीन) (ग) के अधीन आबकारी आयुक्त आदेश द्वारा अथवा नियम **14** (एक) के अधीन मण्डलायुक्त द्वारा कृत आदेश द्वारा क्षुब्ध कोई आवेदक, उक्त आदेश पुनरीक्षित किये जाने के लिए राज्य सरकार को आवेदन कर सकता है।

(3) राज्य सरकार या तो स्वप्रेरणा से या किसी क्षुब्ध आवेदक द्वारा आवेदन किये जाने पर ऐसे किन्हीं आदेशों की शुद्धता, विधिमान्यता या उपयुक्तता के सम्बन्ध में अथवा ऐसी कार्यवाहियों की विनियमितता के सम्बन्ध में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजनार्थ इस नियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में पारित किसी आदेश से सम्बधित अभिलेखों की माँग कर सकती है तथा उनका परीक्षण कर सकती है और यदि किसी मामले में राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे आदेश या कार्यवाहियों को पुनर्विचार हेतु उपांतरित, रद्द, पुनरीक्षित या विप्रेषित की जानी चाहिये तो वह तद्नुसार आदेश दे सकती है:

परन्तु यह कि किसी पक्षकार को प्रतिकूल रूप में प्रभावित करने वाला कोई आदेश इस नियम के अधीन तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे प्रत्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जायेः

परन्तु यह और कि इस नियम के अधीन कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि यह आबकारी आयुक्त के आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत न किया जाये।

15[1] लाइसेंस का नवीकरण

(1) विद्यमान नियमावली के अधीन स्वीकृत किया गया कोई लाइसेंस प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के पश्चात समाप्त हो जाएगा।

(2) इस नियमावली के अधीन लाइसेंस धारण करने वाला और उसका नवीकरण कराना चाहने वाला किसी व्यक्ति को विद्यमान नियमावली के अनुसार वित्तीय वर्ष समाप्त होने के दो माह पूर्व आवेदन करना होगा और उक्त आवेदन के साथ समय-समय पर राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा यथानिर्धारित इस नियमावली के अधीन • संदेय लाइसेंस फीस संलग्न होगा।

(3) लाइसेंसधारी, अपना लाइसेंस नवीकरण कराने के लिए पात्र होगा, यदि लाइसेंसधारी के विरूद्ध लाइसेंस की शर्तों का अतिक्रमण / उल्लंघन करने हेतु कोई वाद लंबित न हों।

16 समस्त लाइसेंसधारियों द्वारा अनुरक्षित किये जाने वाले लेखा

(1) प्रत्येक लाइसेंसधारी को अपने समस्त दैनिक मदिरा संव्यवहरणों का सही सही लेखा / रजिस्टर प्रपत्र एफ0एल0-25 में अनुरक्षित करना होगा। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित रजिस्टर का उपयोग सुनिश्चित करना होगा। उक्त रजिस्टर निम्नलिखित चार भागों में विभाजित होंगे:-

भाग- एक-अधिकारियों का उनके निरीक्षण परिणामों को अभिलिखित करने हेतु निरीक्षण करने के लिए।

भाग-दो- लाइसेंसधारी द्वारा समस्त स्टॉक प्राप्तियों को अभिलिखित करने के लिए प्रविष्टियाँ बिना परिवर्तन के उस दिनांक को की जानी चाहिए जिस दिनांक को आपूर्तियाँ की गई हो। प्रत्येक परेषण के लिए अलग पंक्ति बनायी जानी चाहिए और यदि परेषण में विभिन्न प्रकार की मदिरा सम्मिलित हो तो प्रत्येक प्रकार की मदिरा की भी पृथक पंक्ति बनाई जानी चाहिए।

भाग--तीन दिन भर की कुल विक्रय को अभिलिखित करने के लिए प्रत्येक मद के विक्रय को पृथक-पृथक दर्शाया जाना चाहिए।

भाग-चार दिन भर में प्रत्येक प्रकार की कुल मदिरा की प्राप्ति और कुल विक्रय को अभिलिखित करने के लिए मंदिरा प्राप्ति की संख्या भाग-दो से प्राप्त की जायेगी और विक्रय संख्या भाग-तीन में दिन भर की दर्शायी गयी दिन भर की बिक्री की प्रविष्टियों के योग से प्राप्त किया जायेगा।

(2) लेखा रजिस्टर आनलाइन अपलोड किया जायेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, प्रस्तुत किया जायेगा, लाइसेंसधारी को विक्रय-लेखा आदि प्रस्तुत करना होगा और निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा किये जाने पर सामग्री दस्तावेज तथा एफ०एल०-36 पास उपलब्ध कराना होगा।

1-**उत्तर प्रदेश आबकारी (बार अनुज्ञापनों की स्वीकृति) नियमावली-2022 द्वारा प्रतिस्थापित।**

(3) उसे ऐसी अन्य विवरणियों भी अनुरक्षित करनी होगी जैसा कि आबकारी आयुक्त द्वारा विहित किया जाये।

(4) किसी समारोह बार लाइसेंस धारण करने वाले व्यक्ति को लाइसेंस एफ०एल०- 11 में विहित प्रपत्र में अपने समस्त दैनिक मदिरा संव्यवहरणों की सही-सही लेखा अनुरिक्षत करना होगा।

17- किसी लाइसेंसधारी (लाइसेंसधारियों) की मृत्यु होने पर –

यदि कोई बार लाइसेंस किसी व्यक्ति द्वारा धारित हो अथवा दो या उससे अधिक भागीदारों द्वारा संयुक्त रूप से धारित हो तो लाइसेंसधारी या किसी एक भागीदार की मृत्यु होने की स्थिति में आबकारी आयुक्त को किये गये आवेदन के आधार पर लाइसेंस का नामांतरण, पात्रता की शर्तों को पूरा किये जाने के अध्यधीन मृतक के विधिक उत्तराधिकारी (उत्तराधिकारियों) सहित उत्तरजीवी व्यक्तियों के नाम से किया जा सकता है। परन्तु यह कि वे लाइसेंस नामान्तरण हेतु किये गये आवेदन पर विचार किये जाने के पश्चात अन्यथा अपात्र न पाये जायें। संयुक्त रूप से और गम्भीर रूप से उत्तरदायी भागीदारों की विधिक देन-दारियों के मध्य कोई विभेद नहीं किया जायेगा।

18 होटल तथा रेस्तरां का क्रय-विक्रय -यदि होटल तथा रेस्तरां का क्रय-विक्रय करने के सम्बन्ध में अथवा उसके प्रबंधन तथा स्वामित्व में आबकारी आयुक्त को कोई आवेदन किया जाता है तो पात्रता शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन लाइसेंस नये स्वामी / प्रबंधक के नाम से नामांतरित किया जा सकता है। केवल प्रविष्टि को अक्षत रखकर नाम परिवर्तन किया जाना लाइसेंस अन्तरण की कोटि में नहीं आयेगा। ऐसे मामलों में आबकारी आयुक्त, दस हजार रूपये का संदाय किये जाने के अध्यधीन व्यापारिक नाम में परिवर्तन करने की अनुज्ञा दे सकता है।

19 - लाइसेंसधारी, किसी व्यक्ति को अपना भागीदार होने या न होने की घोषणा नहीं कर सकता है- आबकारी आयुक्त की पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई लाइसेंसधारी जब तक कारबार की भागीदारी प्रकृति में परिवर्तन नही होता है तब तक किसी अन्य व्यक्ति, जो नियमावली के अधीन अपात्र न हो, को अपने कारबार में भागीदारी के रूप में सम्मिलित नहीं करायेगा अथवा किसी विद्यमान भागीदार को बाहर नहीं करायेगाः

परन्तु यह कि आबकारी आयुक्त, ऐसी जाँच, जिसे वह उचित समझे करने के पश्चात 10 प्रतिशत वार्षिक लाइसेंस फीस का भुगतान किये जाने पर लाइसेंसधारी को उसके अनुरोध पर तब तक किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) को भागीदार (भागीदारों) के रूप में सम्मिलित करने अथवा किसी विद्यमान भागीदार (भागीदारों) को बाहर करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकता है, जब तक कारबार की भागीदारी प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है:

परन्तु यह और कि जहां भागीदारी में कोई विघटन हो वहाँ उसकी सूचना आबकारी आयुक्त को दी जायेगी।

20- एक परिसर से दूसरे परिसर के लिए बार लाइसेंस का परिवर्तन किया जाना - आबकारी आयुक्त द्वारा एक अवस्थिति से दूसरी अवस्थिति में लाइसेंस अवधि के दौरान लाइसेंस प्राप्त परिसर में परिवर्तन किए जाने की अनुज्ञा जिला स्तरीय बार समिति की इस संस्तुति के अध्यधीन 10 प्रतिशत वार्षिक लाइसेंस फीस का संदाय किये जाने पर प्रदान की जा सकती है कि नया परिसर नियमावली के अधीन निर्धारित शर्तों के अनुरूप हो।

21- बार का जियो टैगिंग किया जाना- बार की अवस्थिति सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक होटल/रेस्तरां/ क्लब जियो टैग किया जायेगा।

22- नियम का अध्यारोही - यदि उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसों की स्वीकृति) नियमावली, 2020 और अधिसूचना संख्या-30/दो-619-ख, दिनांक 2 अप्रैल, 1968 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश अधिभार फीस लाइसेंस पद्धति नियमावली, 1968 और अधिसूचना संख्या 9473/तेरह-2-213 दिनांक 25 मार्च, 1926 द्वारा प्रकाशित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अधीन बनायी गयी विकृत स्प्रिंट से भिन्न विदेशी मदिरा फुटकर विक्रय नियमावली और साथ ही साथ अधिसूचना संख्या 6144-ई/तेरह -637-77 दिनांक 10 नवम्बर, 1980 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश क्लब (विदेशी मदिरा परमिट अधिकार) नियमावली, 1980 के उपबंधों के मध्य कोई विवाद हो तो उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसों की स्वीकृति) नियमावली, 2020 अभिभावी होगी।

23[1]- इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व जारी बार लाइसेंसों की प्रास्थिति -(1) संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा तदधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन अथवा इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी सहवर्ती विधि के अधीन वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए किसी होटल या रेस्तरां या क्लब को विदेशी या भारत निर्मित विदेशी मदिरा का फुटकर बिक्रय करने के लिए जारी किया गया

1-उत्तर प्रदेश आबकारी (बार अनुज्ञापनों की स्वीकृति) नियमावली-2022 द्वारा प्रतिस्थापित।

कोई बार लाइसेंस तब तक विधि मान्य रहेगा और जारी रहेगा, जब तक कि उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसों की स्वीकृक्ति) नियमावली, 2020 गजट में प्रकाशित नहीं कर दी जाती है:

परन्तु यह और कि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व विद्यमान समस्त बार लाइसेंस, नियमावली के अधीन नवीकरण हेतु शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन नवीकरण के लिए हकदार होंगे।

(2) पूर्ववर्ती नियमावली के अधीन स्वीकृत किये गये समस्त बीयर बार लाइसेंस निम्नलिखित रीति से संचालित हुये माने जायेंगे-

(क) होटल बीयर बार लाइसेंस एफ०एल०-बी, प्रपत्र एफ०एल०-७ बार लाइसेंस के रूप में नामांतरित समझा जायेगाः

(ख) रेस्तरां बीयर बार लाइसेंस एफ०एल०-7ख, प्रपत्र एफ०एल०-7 रेस्तरां बार लाइसेंस के रूप में नामांतरित समझा जायेगा।

24[1]- कारबार की अवधि

लाइसेंसधारी पूर्वान्ह 10:00 बजे से रात्रि 12:00 बजे तक अपना कारबार करेगा : परन्तु यह कि आबकारी आयुक्त सरकार की स्वीकृति से लाइसेंस अवधि के दौरान कारबार की अवधि में कोई परिवर्तन कर सकता है और लाइसेंसधारी को तद्रुसार ऐसे परिवर्तित समय का अनुपालन करना होगा।

" समारोह बार लाइसेंस की कालावधि आवेदक द्वारा विनिश्चित करते हुये आवेदन पत्र में इसे अंकित किया जायेगा परन्तु यह कालावधि अधिकतम केवल 12 घंटे ही होगी और केवल रात्रि 12 बजे तक ही होगी। "

राज्य में यात्रा के दौरान जिला प्रशासन द्वारा अधिरोपित शर्तों के अध्यधीन एफ.एल.-8 लाइसेंसों में मदिरा परोसने का समय स्वीकृत किया जायेगा:

परन्तु यह और कि किसी भौगोलिक अवस्थिति के अन्तर्गत किसी श्रेणी के लाइसेंस की मदिरा परोसने और उसका उपभोग करने के समय में वृद्धि, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित अतिरिक्त वार्षिक लाइसेंस फीस का संदाय किये जाने पर की जा सकती है।

25- शुष्क दिवस- 25-लाइसेंस प्राप्त परिसर निम्नलिखित दिवसों में बंद रहेगा और कोई कारबार नही किया जायेगा, जिन्हें शुष्क दिवस के रूप में घोषित किया गया है।

शुष्क दिवस

(क) 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस

(ख) 14 अप्रैल, अम्बेडकर जयन्ती

(ग) 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस

(घ) 2 अक्टूबर, गांधी जयंती और

(ड.) लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए यथा अधिसूचित 03 और दिवस।

लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के उपबन्धों के अधीन कानून और व्यवस्था अथवा सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रिया-कलापों के कारण भी बार बंद करने के लिये आदेश दे सकता है:

परन्तु यह कि लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राप्त परिसर को बन्द करने के लिये किसी प्रकार के प्रतिकर, जो भी हो, के लिये हकदार नहीं होगा।

26-वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अवशिष्ट और अविक्रित पाया गया विदेशी मदिरा के अधिशेष स्टाक की घोषणा लाइसेंसधारी द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के अगले दिन लाइसेंस प्राधिकारी के समक्ष की जायेगी। इस सम्बन्ध में ऐसे स्टाक का निस्तारण, आबकारी आयुक्त के निदेशों के अनुसार किया जायेगा।

27-लाइसेंस रद्द किये जाने या उसका नवीकरण न किये जाने या उसका अभ्यर्पण किये जाने पर स्टाक का निस्तारण- यदि लाइसेंस अवधि के दौरान लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है या उसे अभ्यर्पित कर दिया जाता है या उसकी समाप्ति पर उसका नवीकरण नहीं किया जाता है, तो देरीलाइसेंसधारी को तत्काल लाइसेंस प्राप्त परिसर में अधिशेष में रखे गये विदेशी मदिरा के स्टाक के सम्बन्ध में लाइसेंस प्राधिकारी को सूचित करना होगा और आबकारी आयुक्त द्वारा दिये गये निदेशों के अधीन ही अधिशेष स्टाक का निस्तारण करना होगा।

1-**उत्तर प्रदेश आबकारी (बार अनुज्ञापनों की स्वीकृति) नियमावली**-2025 **द्वारा प्रतिस्थापित।**

28[1]-विशेष फीस अधिरोपित किया जाना-

राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथाविहित दर पर विदेशी मदिरा के प्रत्येक बोतल के उपभोग पर विशेष फीस उद्ग्रहणीय होगी। लाइसेंस धारक को समस्त फीस अग्रिम में जमा करनी होगी। एफएल0-2, एफ0एल0-2ख एवं बी.आई.ओ.-1/**बी.आई.ओ.-1क** के थोक लाइसेंसधारी द्वारा जारी एफ0एल0-36 पासों में संदत विषेष फीस की धनराशि का उल्लेख होगा।

29- विदेशी मदिरा कतिपय व्यक्तियों को प्रदत या बिक्रीत नहीं की जायेगी- निम्नलिखित व्यक्तियों को कोई विदेशी मदिरा बिक्रीत या प्रदत्त नहीं की जायेगी, अर्थात्:

(क) उन्मत्त व्यक्तिः

(ख) उन्मत्तता की स्थिति में होने या माने जाने वाले व्यक्ति;

(ग) ऐसे व्यक्ति जिनके सम्बन्ध में यह ज्ञात होता है या शंका व्यक्त की जाती है कि वे राजद्रोह, विद्रोह, शान्ति भंग या इसी तरह के लोकशांति और प्रशान्ति के प्रति चुनौती देने वाले अपराध करने में सहभागी हो सकते हैं;

(घ) 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति।

(ङ) 30- केवल शुल्क संदत्त मदिरा का विक्रय-

(च) (1) लाइसेंसधारी ग्राहकों को केवल लाइसेंस परिसर के भीतर यथास्थिति सीलबन्द बोतलों में या पेग्स में उपभोग करने के लिए न की लाइसेंस परिसर के बाहर ले जाने के लिए केवल शुल्क संदत्त विदेशी मदिरा का विक्रय करेगा।

(छ) (2)लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा का क्रय,एफ0एल0-2, एफ0एल0 2ख, बी/1-.ओ.आई.**बी1-.ओ.आई.क** के लाइसेंस धारक से अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी लाइसेंसधारी से करेगा।

(ज) (3)लाइसेंसधारी किसी माइक्रो ब्रिवरी में विनिर्मित ड्राट बीयर का विक्रय करेगा जिसके लिए वह प्रपत्र एम. बी. 1 में विधिमान्य लाइसेंस धारित करता हो ।

(झ) (4) लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राप्त परिसर में अनुज्ञात थोक विक्रेताओं / कस्टम बाण्ड धारक अथवा कस्टम बाण्ड में स्थान का आवंटन रखने वाली बी.आई.ओ.-1/**बी.आई.ओ.-1क** आयातक इकाई जिसे वह अधिनियम या नियमों, विनियमों या तद्धीन कृत आदेशों के उपबंधों के अधीन क्रय करने, स्टॉक करने या विक्रय करने हेतु प्राधिकृत हो, से क्रय किये गये स्टाकों के सिवाय विदेशी मदिरा का स्टाक या विक्रय नहीं करेगा।

(ञ) (5) लाइसेंसधारी, विदेशी मदिरा को लाइसेंस प्राप्त परिसर से भिन्न किसी अन्य स्थान पर स्टॉक नहीं करेगा। लाइसेंसधारी, लाइसेंस प्राप्त परिसर से बाहर या उसके समीप विदेशी मदिरा को अप्राधिकृत रूप से रखे जाने के लिये उत्तरदायी होगा।

(ट) (6) लाइसेंसधारी, सुसंगत नियमों के अधीन जारी किये गये परिवहन पासों के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त परिसर में विदेशी मदिरा का परिवहन करेगा।

(ठ) (7) किसी बार में विदेशी मदिरा के प्रत्येक बोतल पर विनिर्माता का लेबल और सुरक्षा कोड के अतिरिक्त उसके ढक्कन पर आबकारी आयुक्त द्वारा विहित लेबल लगा होगा।

31-विदेशी मदिरा को मिश्रित न किया- (1) लाइसेंस प्राप्त परिसर में बिक्री के लिए प्रस्तावित या उसमें भण्डारित विदेशी मदिरा घटिया, विकृत, नकली या मिलावटी नहीं होगी और लाइसेंसधारी, भारत निर्मित विदेशी मदिरा और विदेशी मदिरा के साथ किसी रूप में छेड़छाड़ नहीं करेगा जिससे कि उसकी गुणवत्ता, तीव्रता, प्रकृति या मात्रा में परिवर्तन न हो सके। (2) यदि किसी सक्षम निरीक्षण अधिकारी के निरीक्षण में कोई विदेशी मदिरा उपयोग हेतु अनुपयुक्त, घटिया, मिलावटी या नकली पायी जाती है अथवा जिसके सम्बन्ध में यह विश्वास किया जाता है कि कोई पदार्थ मिश्रित किया गया है जिसके कारण वह किसी प्रक्रिया या रीति से उपभोग हेतु अनुपयुक्त हो जाय, तो निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी इसे विक्रीत किये जाने से रोक सकता है और उसे तत्काल जब्त कर सकता है और अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही कर सकता है।

32-लइसेंस प्राप्त परिसर में कतिपय कृत्यों को प्रतिषिद्ध किया जाना- किसी प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा-पत्र/लाइसेंस के होते हुये भी लाइसेंस प्राप्त परिसर के भीतर जुओं खेलना, नृत्य करना, अव्यवस्था या अश्लीलता सम्बन्धी अन्य कृत्य किया

1-**उत्तर प्रदेश आबकारी (बार अनुज्ञापनों की स्वीकृति) नियमावली**-2025 **द्वारा प्रतिस्थापित।**

जाना सर्वथा प्रतिषिद्ध होगा।

33 - लाइसेंस का अभ्यर्पण- लाइसेंसधारी, लाइसेंस प्राधिकारी को कम से कम एक माह की लिखित में नोटिस देकर अपना लाइसेंस अभ्यर्पित कर सकता है और ऐसी नोटिस प्राप्त किये जाने पर लाइसेंस प्राधिकारी, उसकी प्रतिभूति जमा से समस्त अवशिष्ट आबकारी देयों की वसूली करने की कार्यवाही करेगा और आबकारी आयुक्त का आदेश प्राप्त करने के पश्चात् अधिशेष धनराशि का प्रतिदाय करेगा।

34-लाइसेंसधारी, केवल मानक उपायों का ही उपयोग करेगा, जैसा कि समय-समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा विहित किया जाये। उक्त उपाय बांट एवं माप विभाग द्वारा सम्यक रूप से मुद्रांकित होने चाहिये।

35-कतिपय व्यक्तियों को आश्रय दिया जाना प्रतिषिद्ध है- ऐसे व्यक्ति, जो किसी अजमानतीय अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराये गये जाने जाते हों या माने जाते हों, जो वेश्या और आभ्यासिक अपराधी हों, को नियोजित नहीं किया जायेगा और न ही उन्हें लाइसेंस प्राप्त परिसर में एकत्रित होने या बने रहने की अनुज्ञा प्रदान की जायेगी, और यदि ऐसे व्यक्ति लाइसेंस प्राप्त परिसर में जाते हैं तो उक्त मामले की सूचना तत्काल लाइसेंसधारी द्वारा निकटतम पुलिस थाना को दी जायेगी।

36- बार लाइसेंस से सम्बनित प्रशमनीय उल्लंघनों के मामले में नीचे यथा निर्धारित न्यूनतम प्रशमन फीत अधिरोपित किया जायेगा- लाइसेंस प्राधिकारी, नीचे अनुसूची के स्तम्भ 3, 4 और 6 में विनिर्दिष्ट धनराशि के साथ स्तम्म-2 में उल्लिखित अधिनियम के अधीन कृत तथा दण्डनीय अपराधों का प्रशमन कर सकता है:-

क्रमांक	अतिक्रमण के प्रकार	प्रथम बार अपराध के लिए (रु० में)	तृतीय बार अपराध के लिए (रु० में)	द्वितीय बार अपराध के लिए (रु० में)
1	2	3	4	5
1	निर्धारित समय से पूर्व अथवा पश्चात् बार का खुला पाया जाना।	2,500	3,000	5,000
2	अप्राधिकृत विक्रेता द्वारा मदिरा परोसते हुये पाया जाना।	5,000	7,000	10,000
3	बिक्री रजिस्टर और लेखा रजिस्टर को माँगने पर न प्रस्तुत करना।	10.000	15,000	20,000
4	बिक्री एवं लेखा रजिस्टर अपूर्ण पाया जाना।	10,000	15,000	20,000
5	बोतलों और पौव्वों या उनके प्रूफ कैप या सील से बिगाड़ लेबल या बार कोड, पिल्फर करना।	10,000	15,000	20,000
6	बार में बिक्री की वृद्धि हेतु ग्राहक को प्रलोभन देना, जैसे नृत्य या जुआ का आयोजन करना।	5,000	7,000	10,000
7	ड्यूटी पेड स्टाक को अप्राधिकृत परिसर में भण्डार करना।	20,000	25,000	30,000
8	लेखानुसार मात्रा से अधिक ड्यूटी पेड स्टाक का पाया जाना।	25,000	30,000	50,000
9	बार मद्य निषेध दिवसोंबन्दी के दिनों में मदिरा की/ बिक्री करते हुए पायाजाना।	30,000	40,000	50,000
10	बिना अनुमति के बार परिसर में किसी प्रकार का परिवर्तन करना।	20,000	25,000	30,000
11	बार परिसर के बाहर एवं अन्दर नियमानुसार साइन बोर्ड में आवश्यक सूचना प्रदर्शित न करना अथवा त्रुटिपूर्ण ढंग से प्रदर्शित करना	5,000	10,000	20,000
12	बार में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था न पाया जाना।	2,000	5,000	10,000
13	यदि किसी एक लाइसेंसधारी को निर्गत की गई मदिरा दूसरे बार लाइसेंस के परिसर में पाई जाती है।	25,000	50,000	लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्यवाही।
14	बिक्री बढ़ाने की दृष्टि से ग्राहकों को उत्प्रेरित करने के लिए अवलम्ब लेते हुये पाये जाने पर, जैसे कि पीने की प्रतियोगिता।	25,000	50,000	लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्यवाही।
15	अन्य कोई अनियमितता, जो क्रमांक-01 से 14 के अधीन उल्लिखित न हो	2,000	5,000	10,000

37-लाइसेंस का निलम्बन एवं निरस्तीकरण सकता-

(1)लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस का निलम्बन अथवा निरस्तीकरण कर है:-

(क) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई ऐसी बोतल पायी जाती है, जिसका प्रतिफल फीस संदत नहीं किया गया है और जिस पर आबकारी

विभाग, द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित सुरक्षा कोड लगा नहीं पाया जाता है।

(ख) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर से किसी अन्य प्रकार की मदिरा अथवा मादक औषधि (जिस हेतु लाइसेंस स्वीकृत न किया गया हो) पायी जाती है अथवा किसी अन्य प्रकार का कारबार किया जाता है।

(ग) यदि अधिनियम अथवा नियमावली के उपबंधों के विरुद्ध लाइसेंसधारी के कब्जे से कोई मदिरा या मादक द्रव्य पाया जाता है।

(घ) यदि लाइसेंसधारी द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत शपथ-पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और उसमें दिया गया कथन असत्य पाया जाता है।

(ङ) यदि लाइसेंसधारी अधिनियम के अधीन किसी दण्डनीय अपराध में या किसी संज्ञेय और अजमानतीय अपराध में या स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी दण्डनीय अपराध में दोष सिद्ध पाया जाता है।

(च) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में ऐसी कोई बोतल / पात्र पाया जाता है, जिस पर अधिकतम फुटकर मूल्य मुद्रित नहीं है।

(छ) यदि यह पाया जाता है कि लाइसेंस गलत नाम से प्राप्त किया गया है और लाइसेंसधारी किसी अन्य व्यक्ति के निमित्त लाइसेंस धारण किये हुये है।

(ज) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में मदिरा में किसी प्रकार का अपमिश्रण या तनुकरण या उच्च श्रेणी की मदिरा के साथ निम्न श्रेणी की मदिरा का मिश्रण पाया जाता है।

(2) लाइसेंस प्राधिकारी, तत्काल लाइसेंस निलम्बित कर देगा. और लाइसेंस के निरस्तीकरण और प्रतिभूति जमा को समपहृत करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी करेगा। लाइसेंसधारी अपना स्पष्टीकरण नोटिस की प्राप्ति से 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकता है। तत्पश्चात्, लाइसेंस प्राधिकारी, यदि वह ऐसा चाहे तो लाइसेंसधारी को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् उपयुक्त आदेश पारित करेगा।

(3) यदि लाइसेंस, लाइसेंस के किन्हीं नियमों और शर्तों के अतिक्रमण के लिये निरस्त किया जाता है तो उसके द्वारा लाइसेंस फीस और जमा प्रतिभूति धनराशि को सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा और इस नियमावली के अधीन लाइसेंस के निलम्बन या निरस्तीकरण की दशा में लाइसेंसधारी किसी प्रतिकर या प्रतिदाय के दावे का हकदार नहीं होगा। ऐसे लाइसेंसधारी को काली सूची में भी डाला जा सकता है तथा उसे आबकारी के किसी अन्य लाइसेंस को धारण करने से विवर्जित किया जा सकता है।

38 कठिनाईयों का निवारण -यदि आवेदन या इनमें से किसी नियम के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई संदेह या विवाद होता है, तो इस पर आबकारी आयुक्त का विनिश्चय अंतिम होगा।

आवेदक का शपथ पत्र

(नियम-7 (4) को देखें)

आवेदक पाब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित शपथ पत्र लाइसेंस प्राधिकारी/जिला कलेक्टर के समक्ष निम्नलिखित प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत कर रहा है अर्थात्:-

(क) यह कि वह होटल/रेस्तरां/क्लब का स्वामी या पट्टाधारक है या उसके पास समय समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली, 1968 के उपबंधों के अनुसार परिसर स्वामी का पट्टा विलेख या सहमति पत्र है।

(ख) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उसे संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अथवा किसी अन्य संज्ञेय और गैरजमानती अपराध के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नही किया गया है।

(ग) यह कि वह उस जिला, जिस जिला का वह निवासी है, के जिला कलेक्टर या पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस कमिश्नरी के पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी जो सहायक पुलिस आयुक्त की रैंक से नीचे का न हो द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा और उसमे यह दर्शित होगा कि उसका और साथ ही साथ उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक रिकार्ड नहीं है, भागीदारी फर्म/कम्पनी का आवेदक होने के मामले में फर्म के प्रत्येक भागीदारी/कंपनी के निदेशक या प्रबंधक या प्रबंध अभिकर्ता या प्रबंध निदेशक को उस जिला, जिस जिला का वह निवासी हो के जिला कलेक्टर या पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस कमिश्नरी के पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी जो सहायक पुलिस आयुक्त की रैंक से नीचे का न हो, द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह दर्शित होगा कि उसका और साथ ही साथ उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उसका आपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक रिकार्ड नहीं है।

(घ) यह कि वह विक्रेता या उसके प्रतिनिधि, जिसका आपराधिक पृष्ठभूमि हो या जो संक्रामक रोग से ग्रसित हो या उसकी आयु 21 वर्ष से कम हो या महिला हो, को नियोजित नही करेगा।

(ड) यह कि उसके पास कोई लोक या सरकारी देयों का बकाया नहीं है।

(च) यह कि वह ऋणशोधन सक्षम है और आवश्यक निधियां रखता है या कारबार के संचालित करने हेतु आवश्यक निधियों की व्यवस्था करता है, जिसका विवरण, यदि अपेक्षित हो, लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करायेगा।

(छ) यह कि वह न तो किसी मदिरा बोतल भराई का लाइसेंस धारक है और न ही एल्कोहल का उत्पादक/ विनिर्माणकर्ता है।

(ज) यह कि वह एक बार परिषद् का **रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता या कोई** कंपनी सचिव या चार्टर्ड एकाउन्टेण्ड नही है। यदि लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात वह उपरोक्त मे से किसी में लिप्त पाया जाता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा।

(झ) यह कि वह एक सरकारी सेवक नहीं है। सरकारी सेवक पाये जाने की दशा में उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा।

(ञ) यह कि उसके अधिष्ठान का परिसर राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग के बफर परिक्षेत्र/ प्रतिषिद्ध परिक्षेत्र के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है।

(ट) यह कि उसके पास यानों की पार्किंग के लिए समुचित और पर्याप्त स्थान है और जिससे यातायात उपताप कारित नहीं होगा और यदि ऐसा पाया जाता है उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा।

(ठ) यह कि वह अपने रेस्तरां/होटल परिसर में अग्निशमन सुरक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र उपबंध करेगा।

दिनांक.................................

आवेदक का पूरा नाम और हस्ताक्षर............

आवेदक का पूरा पता..........................

अनुप्रमाणनकर्ता का हस्ताक्षर................

अनुप्रमाणित करने वाले अधिकारी का पदनाम.......

प्रपत्र-एफ.एल.-6

आवासिक होटलों /तारांकित होटलों / यू.पी.टी.डी.सी. और आई.टी.डी.सी. द्वारा संचालित होटलों और पर्यटक बंगलों के परिसर में उपभोग के लिए विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस

(नियम -3 (एक) देखें)

आवेदक का फोटो	सह आवेदक का फोटो	होटल बार का फोटो

लाइसेंस सं0--------

होटल बार का अक्षांश/देशांतर---------------------------------

परिक्षेत्र का नाम---

लाइसेंस धारक का नाम और पता------------------------------

अनुमोदित प्रबंधक/विक्रेता/बार परिचारक का ब्यौरा------------

आवेदन शुल्क रू0-------(अंको में)-------------------(शब्दों में)

लाइसेंस शुल्क रू0-------(अंको में)------------------(शब्दों में)

प्रतिभूति धनराशि रू0-------(अंको में)----------------(शब्दों में)

परिसर का विस्तृत विवरण (चौहद्दी सहित)

पुलिस थाना------तहसील-------------------------------------

1-उत्तर---

2-दक्षिण---

3-पूरब---

4-पश्चिम--

विकृत स्प्रिट से भिन्न विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री हेतु................को जिला....................स्थिति.................में....................से .... तक की अवधि के लिए, जिस हेतु रू0.............का अग्रिम भुगतान किया गया है और प्रतिभूति जमा की गई है, निम्नलिखित विशिष्ट और सामान्य शर्तों के अध्यधीन एत्तद्वारा लाइसेंस स्वीकृत किया जाता है, इनमें से किसी का उल्लंघन किये जाने पर अथवा संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 या स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी अधिनियम 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किये जाने पर लाइसेंसधारक उपर्युक्त विधियों के अधीन आरोपित किन्ही शास्तियों के अतिरिक्त लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि और अग्रिम में जमा प्रारम्भिक फीस को समपहत किये जाने का दायी होगा।

विशेष शर्तें

1- बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में की जाएगी और मदिरा का उपभोग भी परिसर में ही किया जायेगा।

2- लाइसेंसधारी विहित (प्रपत्र एफ0एल0-25) में नियमित और सही सही लेखा अनुरक्षित करेगा और उसे सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के मांग करने पर निरिक्षण हेतु परिवहन पास सहित प्रस्तुत करेगा तथा ऐसी विक्रय विवरणी जैसी अपेक्षित हो क्लेक्टर को प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारी आबकारी विभाग की बेवसाइट पर विहित प्रपत्र में ऑनलाइन सूचना भी अपलोड करायेगा।

3- बिक्री प्रत्येक दिन पूर्वान्ह 10:00 बजे से रात 12 बजे तक या आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित अतिरिक्त फीस का भुगतान किये जाने पर अन्य बढ़ाये गये समय तक की जायेगी।

4- लाइसेंस प्राप्त परिसर के प्रवेश द्वार पर एक सूचना पट्टिका लगायी जाएगी जिस पर लाइसेंसधारक का नाम और पदनाम "लाइसेंस प्राप्त एफ0एल-6 होटल बार" अंकित किया जायेगा।

5- लाइसेंसधारी उपरोक्त परिसर के महत्वपूर्ण स्थल पर निम्नलिखित चेतावनी को प्रदर्शित करेगा-

"शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है"

6- मदिरा की बिक्री बीयर को छोड़कर केवल सीलबंद बोतल/**केन** अथवा पेग में की जा सकेगी (एक पेग 60 मि0ली0 तथा आधा पेग 30 मि0ली0 के बराबर होगा)। 20 लीटर, 30 लीटर, अथवा 50 लीटर के केग्स में प्राप्त बीयर की बिक्री पेग्स में की जा सकती है ।

7- परोसने और उपभोग करने के लिए तात्पर्यित प्रत्येक मदिरा को बोतल पर आबकारी आयुक्त द्वारा विहित लेबिल अवश्य लगा होना चाहिए।

8- लाइसेंस धारक प्रपत्र एफ0एल0-2, एफ0एल0-2बी और बी.आई.ओ.-1/**बी.आई.ओ.-1क** में लाइसेंस रखने वाले थोक लाइसेंसधारी से मानक बोतलों में मदिरा की आपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

9- मदिरा में हानिकारक या जहरीले पदार्थ का किसी प्रकार से मिश्रिण किया जाना संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 की सुसंगत धारा के अधीन दंडनीय होगा।

10-लाइसेंस प्राप्त परिसर में शस्त्र ले जाना सर्वथा प्रतिषिद्व होगा।

11-सूचना पट्टिका में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित सूचना अनिवार्य में प्रदर्शित की जायगीः-

(एक)परिसर के अंदर शस्त्र ले जाना सर्वथा प्रतिषिद्व है।

(दो)शराब पीकर वाहन न चलायें। शराब पीकर वाहन चलाना जीवन के लिए घातक है।

12- लाइसेंस प्राप्त परिसर मदिरा परोसने और उपभोग करने के लिए 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 02 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बंदी के लिए यथा अधिसूचित 03 और दिवसों को छोड़कर समस्त दिनों में खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के उपबंधों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन संबंधी क्रियाकलाप के कारण बार बन्द करने के लिए भी आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधारों पर बार की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर प्रदान नहीं किया जायेगा।

13-लाइसेंसधारक आबकारी मैन्युअल भाग एक में समय-समय पर सम्मिलित किये गये सभी नियमों और आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

जिला-----

दिनांक-----------

रेस्तरां परिसर में उपभोग हेतु विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस
(नियम -3 (2) देखें)

आवेदक का फोटो	सह आवेदक का फोटो	होटल बार का फोटो

लाइसेंस सं0---------------
रेस्तरां बार का अक्षांश/देशांतर ....
परिक्षेत्र का नाम---
लाइसेंस धारक का नाम और पता-------------------------------
अनुमोदित प्रबंधक/विक्रेता/बार परिचारक का ब्यौरा---------------
आवेदन शुल्क रू0-------(अंको में) --------- (शब्दों में)--- ------
लाइसेंस शुल्क रू0-------(अंको में) --------- (शब्दों में)--- -----
प्रतिभूति धनराशि रू0-------(अंको में) ------- (शब्दों में)--- -----
परिसर का विस्तृत विवरण (चौहद्दी सहित)
पुलिस स्टेशन------तहसील-------
1-उत्तर---------------------------
2-दक्षिण-------------------------
3-पूरब---------------------------
4-पश्चिम-------------------------

विकृत स्प्रिट से भिन्न विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री हेतु............................को जिला....................स्थित ....में ....से...................तक की अवधि के लिए जिसके हेतु रू0.............का अग्रिम भुगतान किया गया है एवं प्रतिभूति जमा की गई है, निम्नलिखित विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के अध्यधीन लाइसेंस स्वीकृत किया जाता है। इनमें से किसी का उल्लंघन किये जाने पर या आबकारी अधिनियम 1910 या स्वापक ओषधि तथा मनःप्रभावी अधिनियम 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध पाये जाने पर लाइसेंसधारी उपरोक्त विधियों के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति के अतिरिक्त लाइसेंस तथा अग्रिम जमा समपहृत किये जाने का दायी होगा –

विशेष शर्तें

1- बिक्री केवल लाइसेंस परिसर में की जाएगी और मदिरा का उपभोग भी परिसर में ही किया जायेगा।
2- लाइसेंसधारी विहित (प्रपत्र एफ0एल0-25) में नियमित रूप से सही सही लेखा अनुरक्षित करेगा और सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर निरीक्षण हेतु परिवहन पास सहित प्रस्तुत करेगा तथा यथा अपेक्षित बिक्री विवरणी कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारी आबकारी विभाग की बेवसाइट पर भी विहित प्रपत्र में ऑनलाइन सूचना अपलोड करायेगा।

3- बिक्री प्रतिदिन पूर्वान्ह 10:00 से 12 बजे रात तक अथवा आबकारी विभाग द्वारा यथा निर्धारित अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किये जाने पर अन्य बढ़ायी गयी अवधि तक की जायगी।

4- लाइसेंस प्राप्त परिसर के प्रवेश द्वार पर एक सूचना पट्टिका लगायी जाएगी जिस पर लाइसेंसधारी का नाम और पदनाम ‘‘ विदेशी मदिरा का लाइसेंसएफ0एल-7 रेस्टोरेन्ट बार ‘‘ अंकित किया जायेगा।

5- लाइसेंसधारक उपरोक्त परिसर के महत्वपूर्ण स्थल पर निम्नलिखित चेतावनी प्रदर्शित करेगा-

"शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है"

6- मदिरा की बिक्री बीयर को छोड़कर सीलबन्द बोतल/ **केन** अथवा पेग (एक पेग 60 मि0ली0 के बराबर और आधा पेग 30 मि0ली0 के बराबर) में की जा सकेगी। 20 ली0, 30लीटर, अथवा 50 लीटर के केग्स में प्राप्त बीयर की बिक्री पेग्स में की जा सकेगी।

7- परोसने और उपभोग के लिए रखी गई प्रत्येक मदिरा की बोतलों पर आबकारी आयुक्त द्वारा विहित लेबिल अवश्य लगा होना चाहिए।

8- लाइसेंस धारक प्रपत्र एफ0एल0-2, एफ0एल0-2बी और बी.आई.ओ.-1/**बी.आई.ओ.-1क** में थोक लाइसेंस रखने वाले लाइसेंसधारी से मानक बोतलों में मदिरा की आपूर्ति प्राप्त करने का हकदार होगा।

9- उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की सुसंगत धारा के अधीन मदिरा में किसी भी प्रकार के हानिकारक या जहरीले पदार्थ को मिश्रित किया जाना दंडनीय होगा।

10-लाइसेंस प्राप्त परिसर में हथियारो को ले जाना सर्वथा प्रतिषिद्ध होगा।

11-साइन बोर्ड में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सूचनायें अनिवार्य रुप से प्रदर्शित की जायंगीः-

(एक) परिसर के अंदर शस्त्र ले जाना सर्वथा प्रतिषिद्ध होगा।

(दो) शराब पीकर वाहन न चलायें। शराब पीकर गाड़ी चलाना जीवन के लिए घातक है।

12-लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 02 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 अन्य दिवसों तक, जैसा लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित करें, को छोड़कर सभी दिवसों में मदिरा परोसने एवं उपभोग करने हेतु खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी, सुसंगत विधियों के उपबंधों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से संबंधित क्रियाकलाप के कारण बार की बंदी हेतु आदेश भी कर सकता है। उपरोक्त आधार पर बार की बन्दी हेतु कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा ।

13- लाइसेंसधारी आबकारी मैन्युअल भाग एक में समय-समय पर शामिल/सम्मिलित किये गये सभी नियमों और आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर पारित किये गये निर्देषो का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

जिला-----

दिनांक---------

प्रपत्र-एफ.एल.-7क

क्लब परिसर में उपभोग हेतु विदेशी मदिरा के
फुटकर बिक्री का लाइसेंस
(नियम -3 (3) देखें)

आवेदक का फोटो	सह आवेदक का फोटो	होटल बार का फोटो

लाइसेंस सं0-----------क्लब बार का अक्षांश/देशांतर.............

इलाके का नाम --------------------------

क्लब का नाम -------------------------

लाइसेंस धारक का नाम-------------------

अनुमोदित प्रबंधक/विक्रेता/बार परिचारक का ब्यौरा

आवेदन शुल्क रू0-------(अंको में)---------(शब्दों में)

लाइसेंस शुल्क रू0-------(अंको में)--------(शब्दों में)

प्रतिभूति धनराशि रू0------(अंको में)------(शब्दों में)

परिसर का विस्तृत विवरण (चौहद्दी सहित)

थाना------तहसील-------

1-उत्तर-------------

2-दक्षिण-------------

3-पूरब-------------

4-पश्चिम-------------

विदेशी मदिरा (परिशोधित स्प्रिट और विकृत स्प्रिट से भिन्न) की बिक्री हेतु............................को उपरोक्त वर्णित परिसर के लिए जिला....................में ....से....... .... तक की अवधि के लिए उपरोक्त उल्लिखित शुल्क के अग्रिम भुगतान और संदत्त प्रतिभूति रू0............... पर निम्नलिखित विशेष विशेष शर्तों जो आबकारी अधिनियम 1910 के अधीन सभी परमिट धारकों लाइसेंसों हेतु बाध्यकारी सामान्य शर्तों के अतिरिक्त है, के अध्यधीन एत्दद्वारा लाइसेंस प्रदान किया जाता है। इनमें से किसी का उल्लंघन किये जाने पर या आबकारी अधिनियम 1910 या स्वापक ओषधि तथा मनःप्रभावी अधिनियम 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध पाये जाने पर पूर्वोक्त लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि और अग्रिम जमा प्रारम्भिक फीस समपहृत किये जाने के अतिरिक्त लाइसेंस रद्द किये जाने योग्य होगा-

विशेष शर्ते

1. विदेशी मदिरा किसी अनुमोदित व्यक्ति द्वारा, ऊपर विस्तृत रूप से वर्णित परिसर के भीतर क्लब के सदस्यों और उनके नियमित अतिथियों को आपूर्ति की जायगी/परोसी जायगी और उसका उपभोग ऐसे परिसर में ही किया जायेगा।
2. लाइसेंसधारक प्रपत्र एफ0एल0-25 (या आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर यथाविहित किये जाने वाले किसी अन्य प्रपत्र) में विहित रजिस्टर में नियमित लेखा अनुरक्षित करेगा। पर लाइसेंसधारी आबकारी विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन सूचना अपलोड करेगा।
3. लाइसेंसधारक या उसका अनुमोदित विक्रेता ऊपर विस्तृत रूप से उल्लिखित परिसर का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर परिवहन पास और प्रपत्र एफ0एल0-25 रजिस्टर तत्काल उपलब्ध करायेगा। प्रपत्र एफ0एल0-25 रजिस्टर सदैव उपरोक्त परिसर में रखा जायेगा।
4. बिक्री पूर्वान्ह 10:00 से रात्रि 12.00 बजे तक अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किये जाने पर बढ़ायी गयी अन्य अवधि में की जायगी।

5- लाइसेंसधारक उपरोक्त परिसर के महत्वपूर्ण स्थल पर निम्नलिखित चेतावनी प्रदर्शितकरेगा-

''शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है''

6- मदिरा की बिक्री सीलबन्द बोतलों **/केन** में अथवा बीयर को छोड़कर (एक पेग 60 मि0ली0 के बराबर और आधा पेग 30 मि0ली0 के बराबर) पेग्स में की जा सकेगी। 20 ली0, 30लीटर, अथवा 50 लीटर के केग्स में प्राप्त बीयर की बिक्री पेग्स में की जा सकेगी।

7. लाइसेंसधारक अपने द्वारा आपूर्ति/परोसी गई विदेशी मदिरा को ऊपर विस्तृत रूप में वर्णित परिसर के बाहर उपभोग करने की अनुमति नहीं देगा।
8. परोसने और उपभोग के लिए रखी गई मदिरा की प्रत्येक बोतल पर आबकारी आयुक्त द्वारा विहित लेबिल अवश्य लगा होना चाहिए।

9. लाइसेंसधारक ऊपर विस्तृत रूप से वर्णित परिसर में नशे में धुत होने से बचने का प्रबन्ध करेगा।
10. लाइसेंसधारक क्लब गठित किये जाने में अथवा अध्यक्ष अथवा सचिव के नाम में किसी प्रकार का परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में तत्काल कलेक्टर को सूचित करेगा।

11- लाइसेंसधारक प्रपत्र एफ0एल0-2, एफ0एल0-2बी और बी.आई.ओ.-1/**बी.आई.ओ.-1क** में थोक लाइसेंस रखने वाले लाइसेंसधारी से मानक बोतलों में मदिरा की आपूर्ति प्राप्त करने का हकदार होगा।

12- उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की सुसंगत धारा के अधीन मदिरा में किसी भी प्रकार के हानिकारक या जहरीले पदार्थ को मिश्रित किया जाना दंडनीय होगा।

13- लाइसेंस प्राप्त परिसर में शस्त्र ले जाना सर्वथा प्रतिषिद्ध होगा।

14- साइन बोर्ड में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित सूचना अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जायगीः-
(एक) परिसर के अंदर शस्त्र ले जाना सर्वथा प्रतिषिद्व है।
(दो) शराब पीकर वाहन न चलाये, शराब पीकर वाहन चलाना जीवन के लिए घातक है।

15. लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 02 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 अन्य दिवसों तक, जैसा लाइसेंस प्राधिकारी बन्दी के लिए अधिसूचित करें, को छोड़कर सभी दिवसों में मदिरा परोसने एवं उपभोग करने हेतु खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी, सुसंगत विधियों के उपबंधों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से संबंधित क्रियाकलाप के कारण बार की बंदी हेतु आदेश भी कर सकता है। उपरोक्त आधार पर बार की बन्दी हेतु कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा।
16. लाइसेंसधारक आबकारी मैन्युअल भाग एक में समय-समय पर सम्मिलित किये गये सभी नियमों और आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देषो का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

जिला................
दिनांक.............

प्रपत्र- एफ.एल.- ए.एल.1

हवाई अड्डे के परिसर में उपभोग हेतु विदेशी मदिरा की बिक्री के लिए लाइसेंस
(नियम -3 (5) देखें)

आवेदक का फोटो	हवाई अड्डे के बार का फोटो

लाइसेंस सं0---------------
हवाई अड्डे का नाम-------------
लाइसेंस धारक का नाम-----------
अनुमोदित प्रबंधक/विक्रेता/बार परिचारक का ब्यौरा
आवेदन शुल्क रू0-------(अंको में)---------(शब्दों में)
लाइसेंस शुल्क रू0-------(अंको में)--------(शब्दों में)
प्रतिभूति धनराशि रू0-----(अंको में)--------(शब्दों में)
परिसर का विस्तृत विवरण (चौहद्दी सहित)
पुलिस थाना------------------जिला--------------
1-उत्तर
2-दक्षिण
3-पूरब
4-पश्चिम

परिशोधित स्प्रिट से भिन्न विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री का लाइसेंस एतदद्वारा ....को उपरोक्त वर्णित परिसर के लिए जिला..............में ....से....................तक की अवधि के लिए उपरोक्त उल्लिखित शुल्क के अग्रिम भुगतान और संदत्त प्रतिभूति धनराशि रू0................. पर निम्नलिखित विशेष एवं सामान्य शर्तो के अध्यधीन स्वीकृत किया जाता है, इनमें से किसी का उल्लंघन किये जाने पर या संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक ओषधि तथा मनःप्रभावी अधिनियम 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध पाये जाने पर पूर्वाक्त लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि और अग्रिम में जमा की गई प्रारम्भिक फीस समपहृत किये जाने के अतिरिक्त लाइसेंसरद्द किये जाने योग्य होगा-

विशेष शर्तें

1. मदिरा की बिक्री केवल सद्भावी पर्यटकों को लाइसेंस प्राप्त परिसर में उपभोग के लिए की जायगी।
2. लाइसेंसधारक विहित रजिस्टर (प्रपत्र एफ0एल0-25) में नियमित रूप से सही सही लेखा रखेगा और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की मध्यपेक्षा पर निरीक्षण किये जाने हेतु उसे प्रस्तुत करेगा तथा जैसा अपेक्षित हो, ऐसे बिक्री का विवरण, कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारी आबकारी विभाग की वेबसाइट पर विहित प्रपत्र में आनलाइन सूचना भी अपलोड करेगा।

3. बिक्री प्रतिदिन पूर्वान्ह 10:00 बजे से रात्रि 12 बजे तक की जाएगी अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा यथानिर्धारित अतिरिक्त फीस जमा किये जाने पर बढ़ायी गयी अन्य समय अवधि में बिक्री की जायगी।
4. लाइसेंस परिसर के प्रवेश द्वार पर एक सूचना पट्टिका लगायी जाएगी जिस पर लाइसेंसधारक का नाम और पदनाम ‘‘ लाइसेंस प्राप्त एफ0एल0:ए0एल0-1 हवाई अड्डा पारवहन विश्रान्तिका बार ‘‘ अंकित किया जायेगा।
5. मदिरा की बिक्री बीयर को छोड़कर पेग सीलबन्द बोतल या पेग में की जा सकेगी (एक पेग 60 मि0ली0 तथा आधा पेग 30 मि0ली0 के बराबर होगा)। 20 ली0,30लीटर, अथवा 50 लीटर के केग्स में प्राप्त बीयर की बिक्री पेग्स में की जा सकेगी।
6. परोसने और उपभोग करने के लिए तत्पर्यित, प्रत्येक सीलबन्द मदिरा के बोतल पर आबकारी आयुक्त द्वारा यथाविहित लेबिल अवश्य लगा होना चाहिए।
7. लाइसेंसधारक प्रपत्र एफ0एल0-2, एफ0एल0-2बी और बी.आई.ओ.-1/**बी.आई.ओ.-1क** में लाइसेंस रखने वाले थोक लाइसेंसधारी से मानक बोतलों में मदिरा की आपूर्ति प्राप्त करने का हकदार होगा।
8. संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 की सुसंगत धारा के अधीन मदिरा में किसी भी प्रकार के क्षतिकारी या अपासकार पदार्थ को मिश्रित किया जाना दंडनीय होगा।
9. लाइसेंस प्राप्त परिसर में हथियारो को ले जाना सख्ती से वर्जित होगा।
10. साइन बोर्ड में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सूचनायें प्रदर्शित किया जाना आवश्यक होगाः-

(एक) हथियारों को परिसर के अंदर ले जाना सख्त वर्जित है।

(दो) मदिरा पी कर गाड़ी चलाना निषिद्ध है। मदिरा पीकर वाहन न चलाना जीवन के लिए घातक है।

11. लाइसेंस प्राप्त परिसर, मदिरा परोसने एवं उपभोग करने के लिए 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 02 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 अन्य दिवसों तक, जैसा लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय को छोड़कर समस्त देशों में खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के उपबंधों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से संबंधित क्रियाकलाप के कारण बार बंद किये जाने का आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधारों पर बार बन्द किये जाने के लिए कोई प्रतिकर नहीं प्रदान किया जायेगा।

12. लाइसेंसधारी आबकारी मैन्युअल भाग एक और आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा पारित निदशों में निहित समस्त नियमों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

जिला................

दिनांक.............

प्रपत्र-एफ.एल.-8

विलासी ट्रेनों/क्रूज बोटों के भोजन कक्ष/स्थान पर सद्भावी पर्यटकों के उपभोग हेतु विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री और उसे परोसने के लिए लाइसेंस

(नियम- 3 (छः)देखें)

विलासी ट्रेन संख्या ....की ठेकेदारी फर्म/रजिस्ट्रीकृत क्रूजबोट संख्या............. के प्राधिकृत यात्रा अभिकर्ता को उत्तर प्रदेश के क्षेत्र होकर गुजरने वाली विलासी ट्रेन/क्रूजबोट के भोजन कक्ष/स्थान में सद्भावी पर्यटकों को विदेशी मदिरा की बिक्री एवं परोसने की अनुमति दिये जाने के उद्देश्य से दिनांक ....से ....तक की अवधि के लिए लाइसेंस फीस रू0....................का अग्रिम भुगतान किये

जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन एत्दद्वारा लाइसेंस स्वीकृत किया जाता है, इनमें से किसी का व्यतिक्रमण किये जाने पर लाइसेंस निरस्त करने सहित इस लाइसेंस के निमित्त अग्रिम जमा लाइसेंस शुल्क जब्त कर लिया जायेगा।

शर्तें

1. केवल सद्भावी पर्यटकों को लाइसेंस प्राप्त परिसर में उपभोग करने हेतु मदिरा की बिक्री की जायगी। पर्यटकों को लाइसेंस प्राप्त परिसर से बाहर मदिरा ले जाने की अनुमति नहीं दी जायगी।
2. लाइसेंसधारी मदिरा की प्राप्ति एवं बिक्री का नियमित एवं सही-सही लेखा रखेगा और सक्षम प्राधिकारी की अध्यापेक्षा पर निरीक्षण हेतु उसे प्रस्तुत करेगा।
3. लाइसेंस प्राप्त परिसर राज्य के भीतर यात्रा की अवधि में मदिरा परोसने एवं उपभोग के लिए जिला प्रशासन द्वारा अधिरोपित शर्तों के अध्यधीन 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती),15 अगस्त(स्वतंत्रता दिवस),02 अक्टूबर (गांधी जयन्ती),26 जनवरी(गणतंत्र दिवस) और 3 अन्य दिवसों तक, जैसा लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय को छोड़कर समस्त देशों में खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के उपबंधों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से संबंधित क्रियाकलाप के कारण बार बंद किये जाने का आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधारों पर बार बन्द किये जाने के लिए कोई प्रतिकर नहीं प्रदान किया जायेगा।
4. मदिरा की बिक्री केवल बंद बोतल अथवा बीयर को छोड़कर पेग में की जा सकेगी (एक पेग 60 मि0ली0 तथा आधा पेग 30 मि0ली0 के बराबर होगा)। 20 ली0,30लीटर, अथवा 50 लीटर के केग्स में प्राप्त बीयर की बिक्री पेग्स में की जा सकेगी।

5 लाइसेंसधारक प्रपत्र एफ0एल0-2, एफ0एल0-2बी और बी.आई.ओ.-1/**बी.आई.ओ.-1क** में लाइसेंस रखने वाले थोक लाइसेंसधारी से मानक बोतलों में मदिरा की आपूर्ति प्राप्त करने का हकदार होगा।

6 लाइसेंसधारक अन्य राज्यों के सुसंगत लाइसेंस के अधीन क्रय की गई मदिरा को रख सकता है।

7 लाइसेंसधारी सभी क्रय-विक्रय के अभिलेखों को उनके सुसंगत आबकारी दस्तावेजों के साथ सुरक्षित रखेगा तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करेगा।

8 संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 की सुसंगत धारा के अधीन मदिरा में किसी भी प्रकार के अतिकारी या अपासकर पदार्थ को मिश्रित किया जाना दंडनीय होगा।

9 लाइसेंसधारक आबकारी मैन्युअल भाग एक और आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा पारित निर्देशों में निहित समस्त नियमों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

जिला................

दिनांक.............

प्रपत्र-एफ.एल.-11

विशेष अवसर वाले समारोह स्थल पर उपभोग हेतु विदेशी मदिरा (विकृत स्प्रिट को छोड़कर) की फुटकर बिक्री के लिए समारोह बार लाइसेंस

(नियम -3 (चार) देखें)

लाइसेंस संख्या---------

परिक्षेत्र -------

लाइसेंस धारक का नाम--------

परिसर का विस्तृत विवरण (चौहद्दी)--

पुलिस थाना---------तहसील----------

1-उत्तर

2-दक्षिण

3-पूरब

4-पश्चिम

विकृत स्प्रिट से भिन्न विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री हेतु..........................को जिला....................में. ....स्थित......................में................. दिनांक................को पूर्वान्ह/ अपरान्ह से....................तक की अवधि के लिए जिस

हेतु रू0.............का अग्रिम भुगतान किया गया है, निम्नलिखित विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के अध्यधीन एत्दद्वारा, लाइसेंस स्वीकृत किया जाता है, इनमें से किसी का उल्लंघन किये जाने पर या आबकारी, ओपियम या डेन्जरस ड्रग्स विधियों के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किये जाने पर लाइसेंसधारी सुसंगत विधियों के अधीन अधीरोपित किन्ही शास्तियों के अतिरिक्त इस लाइसेंस और अग्रिम जमा को समपहृत किये जाने का दायी होगा।

विशेष शर्तें

1.मदिरा केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में परोसी जायगी और मदिरा का उपभोग परिसर में ही किया जायेगा।

2.समारोह आयोजित किये जाने वाले दिन ही मदिरा, लाइसेंस प्राप्त परिसर में आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित समीपवर्ती विदेशी मदिरा/बीयर की फुटकर बिक्री की दुकान से क्रय करके लाई जाएगी।

3. विदेशी मदिरा और बीयर की फुटकर बिक्री की दुकान के विक्रेता द्वारा बिक्री की गई मदिरा/बीयर का विस्तृत विवरण लाइसेंस के इस प्रारूप के पिछले पृष्ठ पर अंकित किया जाएगा।

4. मदिरा किसी अल्प वयस्क या किसी महिला द्वारा परोसी नही जाएगी।

5. मदिरा परोसने हेतु नियोजित व्यक्ति किसी संक्रामक या संसर्ग जनित रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए।

6.किसी विशेष अवसर/समारोह के लिए क्रय की गई मदिरा अनुमोदित अवधि के दौरान ही उपभोग कर ली जाएगी और उसे किसी अन्य समारोह में उपभोग नहीं किया जाएगा। जिसमें विफल होने पर लाइसेंसधारी संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की सुसंगत धाराओं के अधीन दण्डित किये जाने का दायी होगा।

7.इस लाइसेंस के माध्यम से प्राप्त मदिरा से भिन्न मदिरा का उपभोग करना संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की सुसंगत धाराओं के अधीन दण्डनीय होगा। इसके लिए समारोह आयोजनकर्ता और समारोह स्थल के प्रबंधक/स्वामी संयुक्त तथा अलग-अलग रूप से उत्तरदायी होंगे।

8.निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी के साथ किसी भी प्रकार का असहयोग, अभद्र-व्यवहार या अशिष्ट-आचरण संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की सुसंगत धाराओं के अधीन दण्डनीय होगा।

9.संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की सुसंगत धारा के अधीन मदिरा में किसी प्रकार के हानिकारक या अपायकर पदार्थ को मिश्रित किया जाना दण्डनीय होगा।

10.**इवेंट बार/समारोह बार लाइसेंस की कालावधि आवेदक द्वारा विनिश्चित करते हुये आवेदन पत्र में इसे अंकित किया जायेगा परन्तु यह कालावधि अधिकतम केवल 12 घंटे ही होगी और केवल रात्रि 12 बजे तक ही होगी।**

11.लाइसेंसधारी, समारोह में उपस्थित किसी अतिथि विशेषकर महिलाओं से दुराचरण एवं अशिष्ट व्यवहार किये जाने के लिए जिम्मेदार होगा।

12.लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा की आपूर्ति किसी धारिता के मानक बोतल में और बीयर की आपूर्ति किसी धारिता के मानक बोतल/केन में प्राप्त कर सकता है।

13.परोसने और उपभोग के लिए तत्पर्यित मदिरा के प्रत्येक बोतल पर आबकारी आयुक्त द्वारा विहित लेबिल लगा होना चाहिए।

14. किसी भी कार्यक्रम या समारोह के आयोजन स्थल पर शस्त्र ले जाना सख्त वर्जित होगा।

15.यह लाइसेंस,14, अप्रैल (अम्बेडकर जयंती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा घोषित अन्य शुष्क दिवसों में क्रियाशील नहीं रहेगा।

16.लाइसेंसधारी निम्न प्रारूप में नियमित और सही-सही लेखा अनुरक्षित करेगा और सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की अध्यापेक्षा पर निरीक्षण के लिए मांग किये जाने पर उसे प्रस्तुत करेगा तथा लाइसेंस समाप्त होने पर इस लाइसेंस के अधीन कृत बिक्री का सम्पूर्ण लेखा कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा।

दिनांक	विवरण	प्रारम्भिक अधिशेष	प्रासियां	योग	बिक्री	अन्तिम अधिशेष
	वाइन स्प्रिट बियर					

जिला..................

दिनांक................

(पृष्ठ भाग पर सामान्य शर्तें आदि संलग्न/अंकित होंगी)

आज्ञा से,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।